3/यो0स०क०-29/2022 01

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या/2024-25)

प्रेषक,

नवीन कुमार सिंह, (भा०प्र०से०),
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -8-1-2025

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिशन शक्ति अन्तर्गत राष्ट्रीय क्रेच स्कीम के तहत केन्द्रांश मद में रू० 22.58 लाख तथा राज्यांश मद में रू० 15.05 लाख अर्थात कुल 37.63 लाख (सैतीस लाख तिरसठ हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मिशन शक्ति योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय क्रेच स्कीम संचालित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिशन शक्ति योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय क्रेच स्कीम के संचालनार्थ कुल रू. 24.39 लाख (रू. चौबीस लाख उनचालीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 42 दिनांक 11.06.2024 द्वारा तथा प्रथम अनुपूरक से प्राप्त केन्द्रांश मद में 53.10 लाख तथा राज्यांश मद में 35.40 लाख अर्थात कुल 88.50 लाख (अठ्ठासी लाख पचास हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 76 दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्रदान की गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त केन्द्रांश मद में रू० 22.58 लाख तथा राज्यांश मद में रू० 15.05 लाख अर्थात कुल 37.63 लाख (सैतीस लाख तिरसठ हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	PFMS Code	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1.	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (केन्द्रांश)	60:40	3980 (BR73)	51-2235021020226	0226.31.06	67.73	22.58
2.	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (राज्यांश)			51-2235021020326	0326.31.06	45.16	15.05
						योग :- **(रू. सैतीस लाख तिरसठ हजार)**	**37.63**

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के पत्रांक 214/वि० दिनांक 06.03.2024, 3576/वि० दिनांक 01.04.2024, 478/वि० दिनांक 06.08.2024, 730/वि० दिनांक 09.12.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-29/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या 14/टि0 पर दिनांक 13.12.2024 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-29/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या 18/टि0 पर दिनांक-08.01.2025 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अत: महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

8/01/25

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-29/2022/ 01 पटना, दिनांक- 8-1-2025

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/01/25

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-29/2022/ 01 पटना, दिनांक- 8-1-2025

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/01/25

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-29/2022/ 01 पटना, दिनांक- 8-1-2025

प्रतिलिपि –विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

8/01/25

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-29/2022/ 01 पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि –अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

8/01/25

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।